उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून की दसवीं बोर्ड बैठक दिनांक 30.03.2016 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की दसवीं बैठक डा० राकेश शाह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2016 को देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए –

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री जी०एस० पाण्डे	सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून
2	श्री जन्मेजय सिंह	वन संरक्षक, (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड
3	डा० एस०के० श्रीवास्तव	वैज्ञानिक–ई / संयुक्त निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देहरादून
4	डा० अनजुम एन० रिजवी	वैज्ञानिक–डी एवं प्रभारी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, कौलागढ रोड, देहरादून
5	डा० विद्यासागर कापडी	उप–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून
6	डा० बी०पी० मधवाल	उप–निदेशक, मत्स्य पालन, बडासी ग्रान्ट, धन्याडी, रायपुर, देहरादून
7	श्रीमती अभिलाषा भट्ट	सहायक निदेशक, कृषि विभाग, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून
8	श्री धनंजय प्रसाद	उप–निदेशक, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
9	श्री एल०एम० कौल	अनुसंधान अधिकारी, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।

इस कार्यालय के पत्रांक–526 / जै०वि०बो०–16–3 दिनांक 18.03.2016 द्वारा बोर्ड बैठक का एजेण्डा बोर्ड के सभी सदस्यों / आमंत्रियों को पूर्व में प्रेषित कर दिया गया था। बैठक में एजेण्डा के अनुसार विभिन्न विषयों पर हुए विचार–विमर्श व लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है:–

1. एजेण्डा नं०–1: **बोर्ड के सदस्यों व विशेष आमंत्री का स्वागत :–**

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बैठक में सभी सदस्यों व विशेष आमंत्री का स्वागत एवं बोर्ड की मुख्य गतिविधियों से अवगत कराया गया।

2. एजेण्डा नं०–2: **उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की नवीं बैठक दिनांक 16.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराना :–**

बोर्ड द्वारा नवीं बैठक दिनांक 16.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा बोर्ड की गतिविधियों से निम्न प्रकार अवगत कराया गया:–

i. अब तक कुल 765 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों (BMC) का गठन किया जा चुका है।

ii. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 23 मई, 2015 एवं दिनांक 17–18 अगस्त, 2015 को देहरादून में लोक जैव विविधता पंजिका के निरूपण तथा जैव विविधता प्रबन्ध समिति के कार्य संचालन के सम्बन्ध में जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष,

सचिव एवं तकनीकी सहायता समूह के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

iii. सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा भूटान सरकार एवं इंटरनेशनल सेन्टर फॉर माउन्टेन डेवलैपमैन्ट (ICIMOD) के द्वारा यारसागम्बू (*Cordyceps*) पर पारो भूटान में दिनांक 08-13 अगस्त, 2015 की अवधि में आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया।

iv. Kailash Sacred Landscape Conservation and Development Initiative (KSLCDI) परियोजना के अन्तर्गत ICIMOD काठमांडू, नेपाल द्वारा आयोजित क्षेत्रीय वार्षिक समीक्षा एवं नियोजन की दिनांक 01 से 03 सितम्बर, 2015 तक काठमांण्डू नेपाल में आयोजित कार्यशाला (Regional Annual Review & Planning Workshop 2016) में, उपनिदेशक एवं प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।

v. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2015 को पिथौरागढ में जैव विविधता प्रबन्ध समिति के गठन तथा कार्य संचालन के सम्बन्ध में फ्रन्ट लाईन स्टॉफ (वन रक्षक, वन दरोगा, उपराजिक), वन अधिकारियों, जैव विविधता प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं तकनीकी सहायता समूह हेतु लैण्डस्केप स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

vi. पवित्र कैलाश भू–क्षेत्र संरक्षण एवं विकास परियोजना (KSLCDI) (2014) के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में 06 ग्राम पंचायतों (कोठेरा, पाली, कुन्तोला, सिमलकोट, हिमखोला व जयकोट) में लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख तैयार किये जा रहे हैं। जिनमें से कुन्तोला, सिमलकोट, हिमखोला व जयकोट के लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख प्रकाशन के लिये तैयार हैं तथा कोठेरा व पाली के लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख के प्रथम ड्राफ्ट प्राप्त हो चुके हैं। उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि लोक जैव विविधता पंजिकाओं का परीक्षण कराने हेतु Botanical Survery of India एवं Zoological Survery of India को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित करते हुये विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) को पुनर्गठित किया जाना है जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

vii. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई द्वारा स्वीकृत की गई 56 ग्राम पंचायतों हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समितियों को लोक जैव विविधता पंजिका (पी.बी.आर.) एवं जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख निरूपित किये जाने हेतु वर्ष 2015–16 में अब तक (जनवरी 2016 तक) 16 ग्राम पंचायतों को @ ₹1,50,000/– प्रति ग्राम पंचायत की दर से धनराशि अन्तरित की जा चुकी है। उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी जैव विविधता प्रबन्ध समिति के नोडल अधिकारी नामित हैं। अतः उनके द्वारा अपने प्रभाग के अन्तर्गत जैव विविधता समितियों के गठन एवं गठित समितियों के संचालन आदि की अपने स्तर से नियमिति मानिटरिंग करते हुये सूचना बोर्ड को दी जाये। जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

viii. 100 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के ग्राम पंचायत स्तर पर गठन के लिये सम्बन्धित नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारियों को पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि जिन प्रभागों में जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन में विशेष रूचि ली गई सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों को जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने हेतु उन्हें बोर्ड की ओर से सराहना पत्र प्रेषित किया जाये।

ix. उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 15, 21 तथा 29 जनवरी, 2016 को वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र, रामपुर मण्डी, कालसी में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन हेतु जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

x. नेपाल सरकार का एक 11 सदस्यीय ABS Task Force नेपाल में उनके ABS बिल के enactment, Nagoya Protocol के Ratification की प्रक्रिया व उत्तराखण्ड में जैव विविधता अधिनियम, 2002 के क्रियान्वयन के अनुभवों से लाभान्वित होने व सम्बन्धित विषयों पर जानकारी प्राप्त करने हेतु देहरादून में दिनांक 07.02.2016 से 11. 02.2016 तक भ्रमण पर रहा। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व Shri Bijaya Raj Paudyal, Joint Secretary, Ministry of Forests and Soil Conservation (MFSC), Nepal द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल सरकार के अधिकारियों द्वारा दिनांक 10.02.2016 को फील्ड भ्रमण कर जैव विविधता प्रबन्ध समिति दुधई के सदस्यों से विचार–विमर्श एवं दिनांक 11.02.2016 को समुदाय प्रबन्धित जैव विविधता स्थल ईको पार्क, धनोल्टी, का भ्रमण भी किया गया।

xi. National Green Tribunal, New Delhi द्वारा आयोजित International conference on "*sustainable development and environmental jurisprudence*" 04 मार्च, 2016 विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अध्यक्ष एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।

3. <u>एजेण्डा नं०–3:</u> <u>अनुसंधान अधिकारी, टैक्निकल एसोसिएट व डिजाईनिंग व ले–आउट कार्य की सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से रखने एवं टैक्निकल एसोसिएट डाटाबेस मैनेजमैन्ट की सेवायें कार्य विस्तार करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना:–</u>

i. लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख का परीक्षण, जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित कराये जाने एवं परियोजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट आदि तैयार करने हेतु मैसर्स गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विसेज, देहरादून से एक सेवा (₹24,000.00+सेवा शुल्क व सेवाकर अतिरिक्त प्रतिमाह) माह जुलाई, 2015 से ली गयी है।

ii. उक्त के अतिरिक्त Technical Associate, Database Management की सेवा एक वर्ष दिसम्बर, 2015 तक इस कार्यालय में संविदा पर रखी गयी थी जिसका पुनः एक वर्ष दिसम्बर, 2016 तक अवधि विस्तार किया गया है। 9वीं बोर्ड बैठक में टैक्निकल एसोसिएट की सेवा हेतु कुल ₹24,000/– (₹20,000.00+20% HRA) लिये गये निर्णय के क्रम में श्री प्रसेनजित नाथ गौतम, टैक्निकल एसोसिएट,

डाटाबेस मैनेजमैन्ट (संविदा) को माह जनवरी, 2016 से ₹24,000/– मात्र दिया जा रहा है।

iii. उत्तराखण्ड में वर्तमान में लगभग 7956 ग्राम पंचायतें विद्यमान हैं जिनमें से वर्तमान में 765 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किया जा चुका है। शेष 7185 जैव विविधता प्रबन्ध समितियों का गठन किया जाना है तत्पश्चात लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख का निरूपण किया जाना है। बोर्ड कार्यालय में कार्मिकों की कमी एवं कार्य की अधिकता को देखते हुये एक अनुसंधान अधिकारी सेवा की आउटसोर्स के माध्यम से आवश्यकता है।

iv. बोर्ड के दायित्वों में अभिलेखीकरण कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत लोक जैव विविधता पंजिका, जैव सांस्कृतिक समदाय संलेख, प्रशिक्षण हेतु पुस्तक/बुकलेट/टूल–किट, न्यूज लैटर आदि का प्रकाशन सम्मिलित है। इन कार्यों को निष्पादित करने में मुद्रण से पूर्व डिजाईनिंग व ले–आउट का विशेष महत्व है जिसे बोर्ड कार्यालय स्तर पर किये जाने से प्रकाशन कार्यों में गुणवत्ता व एकरूपता के साथ–साथ समय की भी बचत होगी। अतः इसे देखते हुये कार्यालय में डिजाईनिंग व ले–आउट कार्य की सेवायें आउटसोर्स के माध्यम से रखने की आवश्यकता है।

उक्त प्रस्तर i से iv तक का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

4. <u>एजेण्डा नं०–4</u> : **लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव–सांस्कृतिक समुदाय संलेख निरूपित करने हेतु तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) का चयन बोर्ड कार्यालय स्तर पर करने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करनाः–**

यद्यपि लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) तैयार करने का दायित्व सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्ध समिति का है परन्तु इसके एक तकनीकी अभिलेख होने के कारण राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2013 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इस कार्य में जैव विविधता प्रबन्ध समिति को सहयोग प्रदान करने के लिये तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) चिन्हित किये जाने हैं। प्रथम चरण में विकासखण्ड स्तर पर लोक जैव विविधता पंजिका तैयार करने हेतु EOI के माध्यम से सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का चयन किया गया था। लोक जैव विविधता पंजिका एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख (BCP) अब ग्राम पंचायत स्तर पर बनाये जा रहे हैं। तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) में जैव विविधता से सम्बन्धित अलग–अलग विषयों के जानकार व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इस समूह द्वारा बी०एम०सी० को पी०बी०आर० तैयार करने में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी है तथा एक समूह के रूप में भी इस प्रक्रिया को सुगम बनाना है। विगत में EOI के माध्यम से सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का चयन किया गया था परन्तु इस माध्यम से किये गये चयन में भी सभी चयनित संस्थाओं द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता का कार्य नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में ऐसी पंजीकृत संस्थाओं जिनके पास लोक जैव विविधता पंजिका (PBR) एवं जैव सांस्कृतिक समुदाय संलेख (BCP) तैयार करने हेतु वांछित तकनीकी मानव संसाधन हैं उन्हें तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) के रूप में मान्यता प्रदान

करने हेतु बोर्ड कार्यालय को अधिकृत करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

5. एजेण्डा नं०–5 : **Updating of the existing State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP) supported by UNDP through project entitled 'Strengthening Natural Resource Management' under BIOFIN initiative in Uttarakhand पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।**

Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) जिसका नेतृत्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा Hosting, National Biodiversity Authority (NBA) द्वारा की जा रही है, के अन्तर्गत पॉयलट प्रोजेक्ट हेतु उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड एवं महाराष्ट्र जैव विविधता बोर्ड को चुना गया है। इस परियोजना में टैक्निकल ऐजेन्सी के रूप में Wild Life Institute of India (WII) Dehradun व National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) को चयनित किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रबन्धन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में United Nations Development Programme (UNDP) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत National Biodiversity Action Plan को क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधनों के चिन्हीकरण व Mobilization के कार्य के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 12 National Biodiversity Targets को प्राप्त करने की समीक्षा भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के अन्तर्गत जैव विविधता के महत्व के बारे में विकास के विभिन्न क्षेत्रों व ऐजेन्सियों में जागरूकता व Sensitization भी किया जाना है ताकि जैव विविधता के संरक्षण, विकास हेतु वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि व इसमें विद्यमान Gaps की Financing की जा सके।

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को Pilot Project हेतु चयनित किये जाने के क्रम में उत्तराखण्ड के State Biodiversity Strategy and Action Plan (SBSAP) को अपडेट करने तथा National Biodiversity Action Plan व इसमें निर्धारित 12 National Biodiversity Targets से align करने हेतु ₹15.00 लाख का प्रस्ताव सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं UNDP को प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में UNDP से प्रथम किस्त के रूप में ₹7.50 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि EOI के परीक्षण करने हेतु Botanical Survery of India, Zoological Survey of India के प्रतिनिधि, अपर सचिव वन, डा० बी०एस० बरफाल, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की एक समिति बनाई जाये जिसका बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

6. एजेण्डा नं०–6 : **नैशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज परियोजना पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।**

नैशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के सम्बन्ध में दिनांक 11.01.2016 को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में Empowerment of Local Communities in Hiamalayan Region of Uttarakhand through Biological Diversity Act, 2002 उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड की ओर से ₹6.133 करोड़ की परियोजना का concept paper व विस्तृत प्रस्ताव प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया है। उक्त बिन्दु पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि बोर्ड हेतु नामित सदस्यों के विभागों से जैव विविधता सम्बन्धी प्रोजैक्ट Climate Change एवं जैव विविधता सम्बन्धी बिन्दु सम्मिलित करते हुये अपने विभाग के माध्यम से प्रौजैक्ट बोर्ड कार्यालय को भेज सकते हैं। जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

7. एजेण्डा नं०–7: **बजट सम्बन्धी बिन्दुओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना :–**

7(i) बोर्ड कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2014–15 लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) करने हेतु नामित श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रेषित वित्तीय वर्ष 2014–15 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) एंव निम्न प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्यय का विवरण

Account Name	Income	Expenditure
Board Fund Account	87,56,069.00	73,44,564.00
Campa Account (Opening balance 15,13,998)	9,60,000.00	14,05,000.00
Total	**97,16,069.00**	**87,49,564.00**

7(ii) **वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित बजट अनुमान में मदवार संशोधित बजट प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया:–**

मानक पद	याचित धनराशि (हजार रूपये में)
वेतन	2400
मंहगाई भत्ता	2500
पर्वतीय विकास भत्ता व अन्य भत्ता	69
मकान किराया भत्ता	400
मजदूरी	3600
यात्रा भत्ता	300
अवकाश यात्रा सुविधा	200
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	300
जैव विविधता पंजिका बनाना	1000
मानदेय	200
विद्युत देय	60
जलकर	8
टैलीफोन व्यय	113
लेखन सामग्री	200
कार्यालय व्यय	300
कार्यालय फर्नीचर	100
मोटर गाडियों का अनुरक्षण	1000
किराया उपशुल्क	450
प्रकाशन	700
आतिथ्य व्यय	200
मशीन साज–सज्जा और सयंत्र	100
कम्प्यूटर अनुरक्षण व तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200
व्यवसायिक सेवायें	900
बी०एम०सी० गठन	30000

जैव विविधता स्ट्रेटेजी	100
बायोरिसोर्स के वाणिज्यिक उपयोग का अध्ययन	800
पारंपरिक ज्ञान एवं अभिलेखीकरण	500
पवित्र वन	100
प्रचार–प्रसार	100
पुस्तकालय	200
प्रशिक्षण व कार्यशाला / सेमिनार	400
अन्य व्यय	500
योग –	48000
	(चार करोड़ अस्सी लाख) मात्र

7(iii) महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 20.03.2014 द्वारा दिये गये मत के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 के बोर्ड के लेखा की तुलन पत्र (Balance Sheet), लेखा परीक्षण (Audit) श्री सुदर्शन शर्मा एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेंट से कराने का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया –

7(iv) **वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रस्तावित बजट अनुमान का मदवार बजट प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गयाः–**

मानक पद	याचित धनराशि (हजार रूपये में)
वेतन	2400
मंहगाई भत्ता	2500
मकान किराया भत्ता	400
पर्वतीय विकास भत्ता व अन्य भत्ता	67
मजदूरी	3900
यात्रा भत्ता	300
अवकाश यात्रा सुविधा	100
चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	200
लोक जैव विविधता पंजिका बनाना (पी.बी.आर.)	5000
मानदेय	200
विद्युत देय	80
जलकर	10
टेलीफोन व्यय	200
लेखन सामग्री	200
कार्यालय व्यय	200
कार्यालय फर्नीचर	200
मोटर गाडियों का अनुरक्षण	2000
किराया उपशुल्क	500
प्रकाशन	800
आतिथ्य व्यय	130
मशीन साज–सज्जा और सयंत्र	150
कम्प्यूटर अनुरक्षण व तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	250
व्यवसायिक सेवायें	1000
बी०एम०सी० गठन	20000
जैव विविधता स्ट्रेटेजी	1500
बायोरिसोर्स के वाणिज्यिक उपयोग का अध्ययन	500
पारंपरिक ज्ञान एवं अभिलेखीकरण	500

बी.एच.एस.	1000
प्रचार–प्रसार	200
पुस्तकालय व्यय	300
प्रशिक्षण व कार्यशाला/सेमिनार	1000
संतान शिक्षा भता योजना शुल्क	40
अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (IBD)	500
अन्य व्यय	673
योग –	**470000**
	(चार करोड़ सत्तर लाख) मात्र

8. **एजेण्डा नं०–8: बोर्ड कार्यालय के कार्य दिवसीय सप्ताह का अनुमोदन प्राप्त करना।**

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय प्रशासन(अधि0) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1802/M–102/xxxi(1)/ 2014 दिनांक 22.08.2015 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय में प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के साथ–साथ अन्तिम शनिवार को भी सचिवालय में अवकाश रखे जाने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के क्रम में बोर्ड कार्यालय में भी प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के साथ–साथ अन्तिम शनिवार को भी अवकाश का बोर्ड कार्यालय के आदेश संख्याः 102/जै०वि०बो०–1–1(16) दिनांक 24.09.2015 द्वारा जारी किया गया। जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

पुनः मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय प्रशासन (अधि0)/अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–426/xxx1(1)/ 2016–विविध–09/16 दिनांक 04.03.2016 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय में लागू छः दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था को समाप्त करते हुये कार्यहित में बिना कुल कार्य समय में कमी किये बेहतर कार्य कुशलता/कार्य क्षमता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था को लागू किया गया है। उक्त आदेश के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्याः 500/जै.वि.बो. –1–1(16) दिनांक 15.03.2016 द्वारा बोर्ड कार्यालय में भी पांच दिवसीय कार्य सप्ताह व्यवस्था लागू किया गया है। जिस पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

9. **एजेण्डा नं0–9: जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 तथा 24 के अनुक्रम में जैव संसाधन तक पहुँच एवं लाभ के सहभाजन (Access and Benefit Sharing) सम्बंधी नियमानुसार की गयी कार्यवाही को बोर्ड के संज्ञान में लाना तथा बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।**

(i) जैव विविधता अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को वाणिज्यिक उपयोग के लिये सम्बंधित राज्य की जैव विविधता बोर्ड से पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

जैव विविधता अधिनियम की धारा 24 में निहित प्राविधान के अनुसार नागरिक को वाणिज्यिक उपयोग से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में पूर्व सूचना सम्बंधित राज्य के जैव विविधता बोर्ड को दिया जाना अपेक्षित है। सूचना प्राप्त के उपरान्त बोर्ड स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुये उपयोग में लाये जाने वाले जैव संसाधनों को विनियमित किया जाना अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि जैव विविधता अधिनियम की धारा 21(4) के अन्तर्गत जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन के उद्देश्य से गाईडलाइन्स/दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का प्राविधान है। प्राधिकरण द्वारा इस तत्सम्बंधी दिशा–निर्देश (Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefit Sharing Regulations 2014) दिनांक 21.11.2014 को अधिसूचित किया/कराया गया।

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.11.2014 को अधिसूचित गाईडलाइन्स में लाभ के सहभाजन के क्रम में जैव संसाधन के वास्तविक मूल्य का 1 से 3 प्रतिशत व्यवसायियों (Traders) से तथा 3 से 5 प्रतिशत निर्माताओं (Manufacturer) से वसूले जाने का प्राविधान है। उक्त प्रतिशत का निर्धारण सम्बंधित जैव विविधता बोर्ड के स्तर से किया जाना अपेक्षित है। इस अनुक्रम में यह सूचित किया जाना है कि जैव विविधिता अधिनियम, 2002 की अधिसूचना दिनांक 05.02.2003 को की गयी जिसकी धारा 21 में जैव संसाधनों तक पहुँच तथा लाभ के सहभाजन का प्राविधान है। किन्तु अधिनियम की धारा 21(4) में निहित प्राविधान के क्रम में ए0बी0एस0 गाईडलाइन्स अधिसूचित न हो पाने के कारण Access and Benefit Sharing (ABS) सम्बंधी कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। अतः बोर्ड से निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु चर्चा हुई–

(क) चूंकि Access and Benefit Sharing (ABS) सम्बंधी Guidelines भारत सरकार द्वारा 24.09.2014 को जारी की गई है। अतः इनका क्रियान्वयन वर्ष 204–15 से किया जाये।

(ख) Access and Benefit Sharing (ABS) की दरों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से इसके अन्तर्गत जैव संसाधन के वास्तविक मूल्य का 3 प्रतिशत व्यवसायियों (Traders) से तथा 5 प्रतिशत निर्माताओं (Manufacturer) से अभिप्राप्त किया जाना।

(ii) बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बंधी सूचना :– उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा वर्ष 2013–14 में जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले लगभग 300 भारतीय नागरिकों/संस्थाओं को नोटिस निर्गत किया गया था। किन्तु Access and Benefit Sharing (ABS) सम्बंधी अधिसूचना के अभाव में लाभ के सहभाजन सम्बंधी कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव नहीं हो सका।

दिनांक 21.11.2014 की गाईडलाईन्स अधिसूचना के उपरान्त ABS सम्बंधी कार्यवाही को गतिशील बनाया गया है जिसे बोर्ड के संज्ञान में लाया जा रहा है:–

(क) जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले कुल 433 विभिन्न संस्थानों/ उद्योगों को नोटिस निर्गत किया गया है।

(ख) विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के एवज में रू० 12,74,098/– की धनराशि प्राप्त कर राज्य जैव विविधता निधि में जमा करायी जा चुकी है।

(ग) वर्तमान में कई ऐसे औद्योगिक संस्थान हैं जिनके साथ ABS Negotiation सम्बंधी कार्यवाही अन्तिम चरण में है जिसमें पतन्जलि आयुर्वेद लि0, डाबर इण्डिया लि0, हिमालय ड्रग कम्पनी, ग्रीन प्लाई लि0, आर्य वस्तु भण्डार आदि प्रमुख है।

उक्त बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

10. एजेण्डा नं०–10: WILDLIFE PRESERVATION SOCIETY OF INDIA की संस्थागत Membership लेने हेतु बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना।

WILDLIFE PRESERVATION SOCIETY OF INDIA – DEHRADUN द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक जरनल "चीतल" निःशुल्क प्राप्त करने तथा उनके अन्य प्रकाशनों को सदस्यों की भांति प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड को इस संस्था की संस्थागत आजीवन सदस्यता लेने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

11. एजेण्डा नं०–11: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

(i) बोर्ड बैठक में शासन द्वारा नामित बोर्ड के समस्त सदस्यों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है जिसे देखते हुये उचित होगा कि बोर्ड बैठक में उसी नामित प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक बोर्ड बैठक में प्रतिभाग किया जाये। तद्नुसार बोर्ड सदस्यों से अनुरोध किया जाये। बोर्ड बैठक में वन विभाग की ओर से वन संरक्षक (मुख्यालय), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रतिनिधि नामित किये जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक से अनुरोध किया जाये।

(ii) बोर्ड के सदस्यों हेतु एक दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं फील्ड भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाये।

(iii) बोर्ड बैठक में Anthropological Survery of India के निदेशक उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून को भी आमंत्रित किया जाये।

(iv) विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को अपने छात्रों को बोर्ड के दायित्वों से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु Internship पर भेजे जाने हेतु पत्र लिखा जाये।

(v) बोर्ड द्वारा कृषि जैव विविधता पर एक समिति का गठन किया जाये।

(vi) संकटग्रस्त प्रजातियों (Threatened Species) की विज्ञप्ति के पुनरीक्षण हेतु पुनः अवलोकित (Re-visit) किये जाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति की बैठक कराई जाये जिसमें Botanical Survery of India एवं Zoological Survery of India को भी आमंत्रित किया जाये।

उक्त बिन्दुओं पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

अनुमोदित

(डा० राकेश शाह)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड जैव विवधता बोर्ड,
देहरादून

(जी०एस० पाण्डे)
सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड
देहरादून।